तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1771/2005/श्रीगंगानगर अमरजीतसिंह बनाम सुरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 01.04.2019

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 6टी0के0 मु.न. 1 किला नम्बर 21–22 गैर मुमकिन शमशान है, जिसमें मौके पर जाने हेतु कोई भी रास्ता स्वीकृत नहीं है। अगर चक 6 टीके मु.न. 01 के किला नम्बर 23 ता 25 प्रत्येक किले में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे तो सभी को आने जाने में कठिनाई नहीं होगी। किला नम्बर 23/1 का रकबा आराजीराज है एवं किला नम्बर 23/2 व 24–25 व उसी से चिपता मुरब्बा नम्बर–7 किला नम्बर 2/2, 3 ता 5 रकबा सरजीतकौर बेवा कश्मीरसिंह की खातेदारी का है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी संख्या–1 को जरिये नोटिस तलब किया, जिसकी ओर से दिनांक 25–2–2003 को जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मु.न. 7 के किला नम्बर 3, 4 व 5 में से रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो उसे कोई एतराज नहीं। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–2–2003 से प्रत्यर्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1771/2005/श्रीगंगानगर अमरजीतसिंह बनाम सुरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संख्या–1 की सहमति से सार्वजनिक हित में चक 6 टी.के. के मु.न. 7 के किला नम्बर 3, 4 व 5 में एक–एक बिस्वा चौडा रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 4–4–2005 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पति कश्मीरसिंह ने विवादित भूमि जिस पर रास्ता कायम करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, वह भूमि वर्ष 1964 में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से गुरदीपसिंह को विक्रय की जा चुकी थी तथा गुरदीपसिंह ने किला नम्बर 3, 4 व 5 की उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अपीलार्थी को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। उनका कथन है कि विवादित आराजी कश्मीरसिंह द्वारा वर्ष 1964 में विक्रय किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के खरीदशुद्धा रकबे में रास्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 ने अपने प्रार्थनापत्र में वर्षो से काम में लिये जा रहे रास्ते यादि मु.न. 23, 24 व 25 प्रत्येक किला में एक एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अनुतोष चाहा तथा सम्बन्धित तहसीलदार ने भी अपनी रिर्पोट में मु.न. 23, 24 व 25 में रास्ता कायम किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1771/2005/श्रीगंगानगर अमरजीतसिंह बनाम सुरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से शमशान की भूमि में जाने हेतु रास्ता कायमी की प्रार्थना की गयी, जिस पर उनके पक्षकार की ओर से सहमति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 6टी0के0 मु.न. 1 किला नम्बर 21–22 गैर मुमकिन शमशान है, जिसमें मौके पर जाने हेतु कोई भी रास्ता स्वीकृत नहीं है। अगर चक 6 टीके मु.न. 01 के किला नम्बर 23 ता 25 प्रत्येक किले में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पति कश्मीरसिंह ने विवादित भूमि जिस पर रास्ता कायम करने की स्वीकृति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1771/2005/श्रीगंगानगर अमरजीतसिंह बनाम सुरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी, वह भूमि वर्ष 1964 में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से गुरदीपसिंह को विक्रय की जा चुकी थी तथा गुरदीपसिंह ने किला नम्बर 3, 4 व 5 की उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अपीलार्थी को विक्रय कर दी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी कश्मीरसिंह द्वारा वर्ष 1964 में विक्रय किये जाने के उपरान्त अपीलार्थी के खरीदशुद्धा रकबे में रास्ता स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान करने का कोई अधिकार प्रत्यर्थी संख्या–1 को नहीं था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा जिस भूमि में से रास्ता कायमी की स्वीकृति प्रदान की गयी, वह भूमि प्रत्यर्थी संख्या–1 के पति कश्मीरसिंह द्वारा वर्ष 1964 में ही रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से बैचान की जा चुकी थी, जिसके बाबत् प्रत्यर्थी संख्या–1 को सहमति प्रदान करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। अपीलार्थी विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रेता है, जिसे उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–02–2003 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–04–2005 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी का स्वयं मौका देखकर श्मशान तक जाने हेतु उचित रास्ता नियमानुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1771/2005/श्रीगंगानगर अमरजीतसिंह बनाम सुरजीतकौर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रभावित पक्षकारों को सुनकर स्वीकृत करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में दिनांक 30.04.2019 को उपस्थित होकर प्रकरण के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	